

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड पन्ना (म0प्र0)
संक्षिप्त निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 26/12-13 दिनांक 26-9-2012

निविदा आमंत्रण सूचना
पंचम आमंत्रण

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से निम्न लिखित कार्यो हेतु प्रपत्र "एफ" (एक मुश्त) में निविदायें आमंत्रित की जाती है, जो कि कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड पन्ना के कार्यालय में दिनांक 26-10-2012 को अपराह्न 3.00 बजे तक नवीन प्रणाली के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों एवं प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों जिन्हें कम से कम आधी क्षमताओं के उच्च स्तरीय आर0सी0सी0 पानी की टंकी बनाने का अनुभव हो से तीन लिफाफों में प्राप्त की जावेगी एवं उसी दिन अपराह्न 3.30 बजे निविदा उपस्थिति ठेकेदारों या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी कोरे निविदा प्रपत्र हेतु दिनांक 25-10-2012 तक कार्यालयीन समय में आवेदन दिए जा सकते हैं कार्य का नाम :- पन्ना जिले के ग्राम नयागांव एवं पटनाकला जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत उच्च स्तरीय आर0सी0सी0 टंकी का रूपांकन एवं निर्माण कार्य जिसमें आवश्यक पाइप/स्पेशल्स का प्रदाय एवं स्थापना टेस्टिंग सम्मिलित है ।

ग्रुप क्र0	ग्राम/नगर	क्षमता/स्टेजिंग	कार्य की अनुमानित लागत	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य करने अवधि पूर्ण की	ठेकेदारों की पंजीयन श्रेणी
1	ग्राम नयागांव विकास खण्ड गुनौर	60 कि0ली0 10 मी0	4.80 लाख	9600.00	2000.00	4 माह वर्षा काल सहित	"सी" एवं उससे उपर
2	ग्राम पटनाकला विकासखंड गुनौर	60 कि0ली0 10 मी0	4.80 लाख	9600.00	2000.00	-तदैव-	-तदैव-


शर्त :-

1- यह निविदा आमंत्रण की संक्षिप्त सूचना मात्र है । विस्तृत निविदा प्रपत्र की समस्त शर्तें स्पेशीफिकेशन व नक्शों अनुबंध का हिस्सा होगी ।

2- निविदा प्रपत्र किसी भी पंजीकृत ठेकेदार जिसे कि निविदा में आमंत्रित ओवहर हैड टैंक की क्षमता के कम से कम 50 प्रतिशत क्षमता के ओवहर हैड टैंक के निर्माण का अनुभव हो, के द्वारा निविदा खोले जाने की निर्धारित तिथि से 1 दिन पूर्व दिनांक 25-10-2012 तक कार्यालयीन समय के दौरान निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त किये जा सकेंगे ।

3- निविदा प्रपत्र निविदा आमंत्रण कार्यालय के अतिरिक्त मुख्य अभियंता भोपाल परिक्षेत्र मुख्य अभियंता इन्दौर परिक्षेत्र मुख्य अभियंता ग्वालियर परिक्षेत्र एवं मुख्य अभियंता जवलपुर परिक्षेत्र के कार्यालयों में तथा निविदा आमंत्रण कार्यालय जिस परिक्षेत्र के अधीन है उस परिक्षेत्र के अधीन समस्त सिविल मण्डल एवं खण्ड कार्यालयों द्वारा भी दिनांक 22.10.2012 तक निर्धारित शुल्क, निर्धारित प्रतिभूति राशि जमाकर दिनांक 23.10.2012 तक प्रदाय किये जा सकेंगे ।

- 4- निविदा प्रपत्र व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करना वांछित होगा। निविदा प्रपत्र डाक से मगाने पर विलंब के लिये अथवा गुम होने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। निविदा प्रपत्र डाक से मगाने पर डाक व्यय के रूप में 100/- (सौ) रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
- 5- निविदा प्रपत्र के कय हेतु पात्र ठेकेदार को आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होंगे।
- (अ) उचित श्रेणी में बेध पंजीकरण की छाया प्रति (ब) पार्टनरशिप डीड की छाया प्रति
(स) हस्ताक्षर करने के लिये अधिकृत व्यक्ति का प्रमाण पत्र (द) पेन कार्ड की छाया प्रति
(इ) अनुभव प्रमाण पत्र (ई) टिन नम्बर की छाया प्रति
(ऊ) पूर्व में सफलता पूर्वक पूर्ण किये गये समस्त कार्यों की सूची।
- उक्त सभी दस्तावेज स्वयं सत्यापित होना चाहिये। इन सहपत्रों के अभाव में निविदा प्रपत्र प्रदाय नहीं किये जावेंगे।
- 5- निविदा में भाग लेने हेतु निविदाकार को कम से कम आवश्यक क्षमता से अधी क्षमता की टंकी निर्माण का कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न करने का अनुभव होना आवश्यक है। इस हेतु प्रमाण पत्र कार्यपालन यंत्री या उससे उपर के स्तर के द्वारा दिया गया हो।
- 6- अनुभव प्रमाण पत्र किसी भी शासकीय विभाग के कार्यपालन यंत्री जो संबंधित कार्य का प्रभारी रहे हो या उनके उपर के अधिकारी के द्वारा जारी किया गया हो, मान्य होगा। प्रमाण पत्र में कार्य की क्षमता लगात एवं कार्य पूर्ण करने में कितना समय लिया गया है इत्यादि का दर्शाना अनिवार्य है।
- 7- निविदा की वैधता अवधि अंतिम प्राईज बिड खोले जाने की दिनांक से 180 दिवस तक होगी।
- 8- निविदा प्राप्त करने के लिये निर्धारित तिथि व समय के बाद जो निविदाये प्राप्त होगी उन्हें विना खोले ही वापिस कर दिया जावेगा।
- 9- निविदा से संबंधित पूर्ण जानकारी व अन्य शर्तें कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड पन्ना के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।
- 10- धरोहर राशि बैंक गारंटी के रूप में मान्य नहीं होगी, राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ.डी.आर. मान्य होगी, जो कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड पन्ना के नाम से देय हो। पूर्व से जमा एफ.डी.आर. समायोजित नहीं होगी।
- 11- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में कार्य कर रहे ऐसी फर्म/ठेकेदार निविदा प्रस्तुत करने के लिये अपात्र होंगे जिनके द्वारा टंकी निर्माण का कार्य अधूरा छोड़ा गया हो अथवा कार्य समय सीमा में प्रारंभ नहीं किया गया। तत्संबंधी विवरण आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अन्यथा ऐसी फर्म/ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत निविदा निरस्त कर उनके द्वारा प्रस्तुत अरनेस्ट मनी राजसात मानी जावेगी।
- 12- एक प्रतिशत उपकर मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल भोपाल को देय होगा जो ठेकेदार के विल से काटा जावेगा।
- 13- उक्त निविदा आमंत्रण सूचना विभागीय वेवसाइट (WWW.mpphed.gov.in) पर भी प्रदर्शित है।


कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड
पन्ना (म0प्र0)